पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 29.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं व युवाओं को सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर और साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक।

थाना इंटौजा टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत ग्राम मलूकपुर के प्राथमिक विद्यालय में छात्र व छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण एवं यूपी-कॉप (UP-COPS) के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उप निरीक्षक सारिका गुप्ता, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- आरक्षी दुर्गपाल, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ग्राम मलूकपुर के प्राथमिक विद्यालय थाना इंटौजा लखनऊ।

प्रतिभाग-

- ✓ महिला उप निरीक्षक सारिका गुप्ता, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ आरक्षी दुर्गपाल, थाना इंटौजा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ ग्राम मलूकपुर के प्राथमिक विद्यालय थाना इंटौजा लखनऊ मे छात्र व छात्राओं को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 29/04/2026 को ग्राम मलूकपुर के प्राथमिक विद्यालय थाना इंटौजा लखनऊ में बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं को सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने का उद्देश्य पूरा किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और सरकारी योजनाओं के लाभों से अवगत कराया गया। साथ ही, आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए 112, 1090, 1080 और 1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। यूपी-कोप (UP-COPS) एप्लिकेशन की उपयोगिता से अवगत कराने के साथ-साथ, अभियान के तहत बच्चों की शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया गया और अभिभावकों को बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक सहभागिता through education को बढ़ावा देना था। इटौंजा पुलिस की यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुई है।

मिशन शक्ति 5.0: एक संक्षिप्त विवरण

प्राथमिक उद्देश्य: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।

1. **सुरक्षा और सहायता:**
   * हिंसा और भेदभाव की रोकथाम।
   * एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण।
   * त्वरित न्याय, कानूनी सहायता और पुनर्वास।
2. **आर्थिक सशक्तिकरण:**
   * आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर।
   * कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसर।
   * वित्तीय साक्षरता और बाजार से जुड़ाव।
3. **सामाजिक सशक्तिकरण:**
   * लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता।
   * शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना।
   * निर्णय लेने की प्रक्रियाओं (सामाजिक, राजनीतिक) में भागीदारी बढ़ाना।

यह मिशन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन हर महिला का मौलिक अधिकार है, और यह इस अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है।

"मिशन शक्ति निश्चित रूप से इस अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत स्तंभ का कार्य कर रहा है," इसके महत्व और दूरगामी प्रभाव को दर्शाता है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने का एक व्यवस्थित ढांचा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

“मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज, मिशन शक्ति का यही प्रयास”

थाना इंदिरानगर क्षेत्र के अंतर्गत तथागत पब्लिक स्कूल सूगामऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक- 29.04.2026

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना इंदिरानगर क्षेत्र में बुद्धवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0उ0नि0 श्रीमती तारा यादव, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0उ0नि0 सीमा रानी, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ उ0नि0 श्री काजी जमीर अहमद, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **इंदिरानगर क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत तथागत पब्लिक स्कूल सूगामऊ।

आयोजक टीम-

- म0उ0नि0 श्रीमती तारा यादव, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0उ0नि0 सीमा रानी, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- उ0नि0 श्री काजी जमीर अहमद, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- आरक्षी राहुल कनौजिया, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना **इंदिरानगर क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत तथागत पब्लिक स्कूल सूगामऊ में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

आज दिनांक 29.04.2026 को थाना **इंदिरानगर क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत सी तथागत पब्लिक स्कूल सूगामऊ **में** मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों**, **सुरक्षा उपायों**, **सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

बालिकाओं को उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज, मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना सरोजनीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक – 29.04.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना सरोजनीनगर क्षेत्र में बुधवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ महिला आरक्षी सविता, थाना सरोजनीनगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ महिला आरक्षी प्रीति सिंह, थाना सरोजनीनगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **सरोजनीनगर क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गतग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में।

आयोजक टीम-

- महिला आरक्षी सविता, थाना सरोजनीनगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी प्रीति सिंह, थाना सरोजनीनगर लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना **सरोजनीनगर क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गतग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **सरोजनीनगर क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर** में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

LETTER
GRATEFULLY
Thanking you,
Yours Sincerely

LETTER
GRATEFULLY
Thanking you,
Yours Sincerely

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति 5.0:- "तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा अधिकार – 1090 हेल्पलाइन है तैयार!"

थाना हजरतगंज व महिला थाना प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज लखनऊ की छात्राओं को थाना स्थानीय पर मिशन शक्ति विशेष जागरूकता कार्यक्रम में बच्चो को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जानकारी के साथ- साथ महिला सुरक्षा केंद्र मिशन शक्ति केंद्र व साइबर अपराधों के बारे में दी गई जानकारी।

दिनांक- 29.04.2026

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना **हजरतगंज व महिला थाना प्रथम की संयुक्त टीम** द्वारा थाना पर एक विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

यह जागरूकता कार्यक्रम **थाना हजरतगंज पर** चलाया गया, जिसमें छात्राओं और बच्चों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को **सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी सहायता, सेवाओं** के प्रति जागरूक करना था।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

आयोजक स्थल

- महिला उप निरीक्षक शारदा सिंह, थाना हजरतगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उप निरीक्षक लक्ष्मी पाल, थाना हजरतगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उप निरीक्षक पूनम त्रिपाठी महिला थाना प्रथम लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना स्थानीय पर छात्राओं को बुलाकर किया गया जागरूक।

आयोजक टीम -

- महिला उप निरीक्षक शारदा सिंह, थाना हजरतगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उप निरीक्षक लक्ष्मी पाल, थाना हजरतगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- उप निरीक्षक तेज सिंह, महिला थाना प्रथम लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उप निरीक्षक पूनम त्रिपाठी महिला थाना प्रथम लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला कांस्टेबल लक्ष्मी यादव, थाना हजरतगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना हजरतगंज व महिला थाना प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा थाना पर किया गया जागरूक अभियान।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 29.04.2026 को थाना हजरतगंज व महिला थाना प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा थाना पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के छात्राओं को जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत सरकार की योजनाओ के बारे में छात्राओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी- (यूपी कोप) एवं आदि नंबरों के बारे में जानकारी दी गयी एवं बच्चो को गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तार से दी गयी जानकारी के साथ- साथ महिला सुरक्षा केंद्र/ मिशन शक्ति केंद्र व साइबर अपराधों के बारे में की जानकारी दी गई तथा हेल्प लाइन नंबरों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दी गई।

साइबर जागरूकता के तहत विषय:

- **सुरक्षित इंटरनेट उपयोग:** सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग आदि में सतर्कता बरतने के तरीके।
- **साइबर बुलिंग और उत्पीड़न:** इनकी पहचान कैसे करें और इससे कैसे निपटें।
- **डेटा गोपनीयता:** व्यक्तिगत जानकारी और फोटो ऑनलाइन साझा करते समय सावधानी।
- **साइबर ठगी:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग आदि से बचाव के उपाय।
- **डिजिटल फुटप्रिंट:** इंटरनेट पर अपनी गतिविधियों का दीर्घकालिक प्रभाव।

1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (बाल संरक्षण), 101 (फायर), 102 / 108 (स्वास्थ्य आपात सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) तथा **1930 (साइबर हेल्पलाइन)** । कार्यक्रम के अंत में छात्राओं एवं महिलाओं को जागरूकता से संबंधित **पम्फलेट्स वितरित** किए गए।

आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते खतरों को देखते हुए, इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के उपाय सिखाए गए। साथ ही, साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए **राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तार से बताया गया और जागरूकता **पम्फलेट्स** वितरित किए गए।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-692
दिनांक-29.04.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- बिजनौर, बंथरा,गोसाईगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

मा0 न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (का0 एवं व्य0) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आज दिनांक-29.04.2026 को जिलाबदर किये गये व्यक्तियों का विवरण-

क्र. सं.	वाद सं.	धारा	थाना	विपक्षी का नाम	जिला बदर की अवधि
1	22(04)/2026	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	बिजनौर	वीरू यादव उर्फ झूरी उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी नूरनगर भदरसा, थाना बिजनौर, लखनऊ	**06 माह**
2	32 (05) / 2026	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	बंथरा	सर्वेश उर्फ अंकुश गौतम उम्र-23 वर्ष पुत्र गंगा प्रसाद निवासी ग्राम बन्थरा थाना बन्थरा, लखनऊ	**06 माह**
3	26(08)/ 2026	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	गोसाईगंज	शिवम उम्र करीब-26 वर्ष पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम लोखरिया थाना गोसाईगंज, लखनऊ	**06 माह**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-695
दिनांक-29.04.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-बाजारखाला

- ***फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसों की धोखाधडी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।***

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक-23.05.2025 वादी श्री मोहित जयसवाल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जयसवाल निवासी मोतीझील कॉलोनी ऐशबाग बाजारखाला लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा वादी से इनोवा कार के नाम पर आपराधिक षड़यत्र करते हुए फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व असली के रूम में प्रयोग करने एवं धोखाधड़ी करके 5,25,000 रूपये हड़प लेने के सम्बन्ध में दिया गया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0-82/2025 धारा 340(2)/338/336(3)/318(2)/316(2) 61(1) (बी) बीएनएस बनाम 01-मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां 02-मो0 उमर व कुछ अन्य अज्ञात लोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त मुकदमें से साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी मो0 उमर पुत्र मो0 रईस निवास किशोरंगज कैम्पल रोड थाना सआदतगंज लखनऊ को दिनांक-09.10.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। तथा अभियुक्त मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां निवासी- 299/35 पुराना नक्खास थाना चौक लखनऊ लगातार अपने आप को छिपाये हुए था।

अभियुक्त उपरोक्त के विरूध्द मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी दिनांक 16.01.2026 को जारी किया जा चुका था। उसके उपरान्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सर्विलांस सेल की सहायता व अथक प्रयास के उपरान्त आज दिनांक 29.04.2026 को अभियुक्त मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां उपरोक्त को थाना गाजीपुर से कुछ मीटर पहले जुर्म धारा से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारी के दौरान माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां निवासी- 299/35 पुराना नक्खास थाना चौक लखनऊ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-82/25 धारा 340(2)/338/336(3)/318(2)/316(2)/61(1)(बी) बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री शिवानन्द थाना बाजारखाला लखनऊ
02. का0 धीरज यादव थाना बाजारखाला लखनऊ

03.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-695
दिनांक-29.04.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-बाजारखाला

- ***फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसों की धोखाधडी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक-23.05.2025 वादी श्री मोहित जयसवाल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जयसवाल निवासी मोतीझील कॉलोनी ऐशबाग बाजारखाला लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा वादी से इनोवा कार के नाम पर आपराधिक षड़यत्र करते हुए फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व असली के रूम में प्रयोग करने एवं धोखाधड़ी करके 5,25,000 रूपये हड़प लेने के सम्बन्ध में दिया गया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0-82/2025 धारा 340(2)/338/336(3)/318(2)/316(2) 61(1) (बी) बीएनएस बनाम 01-मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां 02-मो0 उमर व कुछ अन्य अज्ञात लोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त मुकदमें से साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी मो0 उमर पुत्र मो0 रईस निवास किशोरंगज कैम्पल रोड थाना सआदतगंज लखनऊ को दिनांक-09.10.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। तथा अभियुक्त मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां निवासी- 299/35 पुराना नक्खास थाना चौक लखनऊ लगातार अपने आप को छिपाये हुए था।

अभियुक्त उपरोक्त के विरूध्द मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी दिनांक 16.01.2026 को जारी किया जा चुका था। उसके उपरान्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सर्विलांस सेल की सहायता व अथक प्रयास के उपरान्त आज दिनांक 29.04.2026 को अभियुक्त मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां उपरोक्त को थाना गाजीपुर से कुछ मीटर पहले जुर्म धारा से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारी के दौरान माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. मो0 तारिक पुत्र स्व0 कासिम अली खां निवासी- 299/35 पुराना नक्खास थाना चौक लखनऊ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-82/25 धारा 340(2)/338/336(3)/318(2)/316(2)/61(1)(बी) बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री शिवानन्द थाना बाजारखाला लखनऊ
02. का0 धीरज यादव थाना बाजारखाला लखनऊ

03.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-690

दिनांक-29.04.2026

जोन-मध्य/थाना-मदेयगंज

- **थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 29.04.2026 को आवेदक सोनू पुत्र छोटे लाल निवासी नया पुरवा , परचून की दुकान के पास, सीतापुर रोड केशवनगर पुलिस चौकी लखनऊ के द्वारा प्रा0 पत्र बावत अभियुक्त द्वारा वादी की बहन राधा उम्र करीब 27 वर्ष के साथ मारपीट करने जिससे वादी की बहन के सर व मुंह पर गंभीर रूप से चोटें आने व दौराने इलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0 0054/2026 धारा 105 बीएनएस थाना मदेयगंज लखनऊ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 29.04.2026 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मय वादी मुकदमा सोनू उपरोक्त के साथ मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मोनू रावत पुत्र मुन्ना रावत निवासीधोबी घाट बैरल नं0-02 शिवनगर खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ की तलाश पतारसी सुरागरसी करते हुए अभियुक्त के अंकित पते पर पहुँचे जहाँ पर एक व्यक्ति काली शर्ट व काली जीन्स पहने खडा था, वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि यही मेरा बहनोई मोनू रावत है । हम पुलिस बल द्वारा उक्त व्यक्ति को मौके पर पकड लिया गया।

पकडे गये व्यक्ति से नाम-पता पूछा गया तो अपना नाम मोनू रावत पुत्र मुन्ना रावत उम्र 32 वर्ष बताया गया । अभियुक्त मोनू रावत उपरोक्त को उसके द्वारा कारित अपराध से बोध कराते हुए जुर्म धारा -105 बीएनएस में अभियुक्त के अंकित पते से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-मोनू रावत पुत्र मुन्ना रावत निवासी धोबी घाट बैरल नं0-02 शिवनगर खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र 32 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 0054/2026 धारा 105 बीएनएस थाना मदेयगंज लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार तिवारी थाना मदेयगंज लखनऊ

2. का0 कुमार सानू थाना मदेयगंज लखनऊ

3-का0 जयदेव थाना मदेयगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट नं0 -691

दिनांक-29.04.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात कराने कराने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- गर्भवती होने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता का गर्भपात कराने का आरोप।
- थाना मोहनलालगंज में मु0अ0सं0 158/26 धारा 69/89 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत।
- मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को ज्योतिनगर तिराहा से गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2026 को थाना मोहनलालगंज पर एक पीड़िता उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 16 अगस्त 2025 को अभियुक्त अभिषेक गौतम निवासी ग्राम डेहवा, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तराखंड ले जाया गया।

अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का विश्वास दिलाते हुए किराये के कमरे में लगभग तीन माह तक अपने साथ रखा गया। इस दौरान अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोप है कि गर्भवती होने के उपरांत अभियुक्त द्वारा उसका गर्भपात करा दिया गया तथा बाद में उसे उसके घर छोड़ दिया गया।
उक्त सूचना के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर *मु0अ0सं0 158/26 धारा 69/89 बीएनएस* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना एवं पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए।

02-पुलिस कार्यवाही-

अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना मोहनलालगंज पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संकलन एवं संभावित स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आज दिनांक 29.04.2026 को ज्योतिनगर तिराहा थाना क्षेत्र मोहनलालगंज से समय करीब 07:05 बजे अभियुक्त अभिषेक गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-अभिषेक गौतम पुत्र सुरेश कुमार गौतम निवासी ग्राम डेहवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 158/26 धारा 69/89 बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-693
दिनांक-29.04.2026

जोन-मध्य/थाना-आशियाना

- **महिला के गले से चेन खींचकर भागने वाले तथा अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती का मोबाइल छीनकर भागने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से छीने गयी चेन का एक टुकड़ा माल बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण

01-दिनांक 03.03.2026 को वादी मुकदमा सर्वोत्तम सिंह पुत्र श्री साहब सिंह निवासी H/337, इंद्रलोक कलोनी, थाना कृष्णानगर, लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीरी सूचना बाबत एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के द्वारा वादी की माता जी के गले से चेन खींचकर भाग जाया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-59/2026 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम अज्ञात** के पंजीकृत किया गया।

02-दिनांक 02..042026 को वादिनी मुकदमा प्रतिष्ठा शुक्ला पुत्री श्री टी. के. शुक्ला निवासी 7/465, रजनीखंड, शारदानगर, लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीरी सूचना बाबत दो मोटरसाइकिल सवार के द्वारा वादिनी का मोबाइल छीन लिया गया है । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-89/2026 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम अज्ञात** के पंजीकृत किया गया । अभियोगों उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 अग्रचारी यादव के द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

घटना के अनावरण हेतु थाना आशियाना की पुलिस टीम द्वारा आस पास के कई सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया जिसमे चेन तथा मोबाइल छिनैती करने वाले अभियुक्तगणो द्वारा घटना अंजाम देते हुए दिखायी दिये । सुरागरसी पतारसी से मुखबिर खास की सूचना पर **01. आदित्य रावत पुत्र राधेश्याम रावत निवासी किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना लखनऊ उम्र लगभग 23 वर्ष दिनांक 28.04.2026 को देवी खेड़ा से ईको गार्डन जाने वाली रोड पर समय करीब 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया** तथा अभियुक्त के पास से मु0अ0सं0 059/2026 से संबंधित छीनी गई चेन का टुकड़ा वजन लगभग 1.320 ग्राम पीली घातु बरामद हुआ।

मोबाइल के बारे में पूछने पर बताया कि मोबाइल मैंने अपने दोस्त अर्जुन रावत के साथ मिलकर छीना था । छीनते वक्त ही मोबाइल सड़क पर गिर गया था और टूट गया था इसलिये उसे वहीं फेंक कर हम भाग गये थे। मेरा दोस्त अर्जुन रावत को पीजीआई पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-59/2026 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा खर्चे के लिए रात्रि में मोबाइल और चेन छिनैती कर लेते थे।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 59/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

02-मु0अ0सं0 89/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-आदित्य रावत पुत्र राधेश्याम रावत निवासी किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना लखनऊ उम्र लगभग 23 वर्ष

05-बरामदगी

- चेन का टुकड़ा वजन लगभग 1.320 ग्राम

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना आशियाना लखनऊ

1. प्र0नि0 छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ
2. व0उ0नि0 धर्मवीर शाही थाना आशियाना लखनऊ
3. उ0नि0 उ0नि0 अग्रचारी यादव थाना आशियाना लखनऊ
4. उ0नि0 विजय प्रताप थाना आशियाना लखनऊ
5. उ0नि0 श्री शुभम मेहंदियान थाना आशियाना लखनऊ
6. उ0नि0 आलोक पाण्डेय थाना आशियाना लखनऊ
7. हे0का0 अशोक शर्मा थाना आशियाना लखनऊ
8. का0 सुमित कुमार थाना आशियाना लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-693
दिनांक-29.04.2026

जोन-मध्य/थाना-आशियाना

- **महिला के गले से चेन खींचकर भागने वाले तथा अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती का मोबाइल छीनकर भागने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से छीने गयी चेन का एक टुकड़ा माल बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण

01-दिनांक 03.03.2026 को वादी मुकदमा सर्वोत्तम सिंह पुत्र श्री साहब सिंह निवासी H/337, इंद्रलोक कलोनी, थाना कृष्णानगर, लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीरी सूचना बाबत एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के द्वारा वादी की माता जी के गले से चेन खींचकर भाग जाया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-59/2026 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम अज्ञात** के पंजीकृत किया गया।

02-दिनांक 02..042026 को वादिनी मुकदमा प्रतिष्ठा शुक्ला पुत्री श्री टी. के. शुक्ला निवासी 7/465, रजनीखंड, शारदानगर, लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीरी सूचना बाबत दो मोटरसाइकिल सवार के द्वारा वादिनी का मोबाइल छीन लिया गया है । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-89/2026 धारा 304(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम अज्ञात** के पंजीकृत किया गया । अभियोगों उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 अग्रचारी यादव के द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

घटना के अनावरण हेतु थाना आशियाना की पुलिस टीम द्वारा आस पास के कई सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया जिसमे चेन तथा मोबाइल छिनैती करने वाले अभियुक्तगणो द्वारा घटना अंजाम देते हुए दिखायी दिये । सुरागरसी पतारसी से मुखबिर खास की सूचना पर **01. आदित्य रावत पुत्र राधेश्याम रावत निवासी किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना लखनऊ उम्र लगभग 23 वर्ष दिनांक 28.04.2026 को देवी खेड़ा से ईको गार्डन जाने वाली रोड पर समय करीब 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया** तथा अभियुक्त के पास से मु0अ0सं0 059/2026 से संबंधित छीनी गई चेन का टुकड़ा वजन लगभग 1.320 ग्राम पीली घातु बरामद हुआ।

मोबाइल के बारे में पूछने पर बताया कि मोबाइल मैंने अपने दोस्त अर्जुन रावत के साथ मिलकर छीना था । छीनते वक्त ही मोबाइल सड़क पर गिर गया था और टूट गया था इसलिये उसे वहीं फेंक कर हम भाग गये थे। मेरा दोस्त अर्जुन रावत को पीजीआई पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-59/2026 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा खर्चे के लिए रात्रि में मोबाइल और चेन छिनैती कर लेते थे।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 59/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

02-मु0अ0सं0 89/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-आदित्य रावत पुत्र राधेश्याम रावत निवासी किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना लखनऊ उम्र लगभग 23 वर्ष

05-बरामदगी

- चेन का टुकड़ा वजन लगभग 1.320 ग्राम

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना आशियाना लखनऊ

1. प्र0नि0 छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ
2. व0उ0नि0 धर्मवीर शाही थाना आशियाना लखनऊ
3. उ0नि0 उ0नि0 अग्रचारी यादव थाना आशियाना लखनऊ
4. उ0नि0 विजय प्रताप थाना आशियाना लखनऊ
5. उ0नि0 श्री शुभम मेहंदियान थाना आशियाना लखनऊ
6. उ0नि0 आलोक पाण्डेय थाना आशियाना लखनऊ
7. हे0का0 अशोक शर्मा थाना आशियाना लखनऊ
8. का0 सुमित कुमार थाना आशियाना लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-694
दिनांक-29.04.2026

जोन-मध्य/थाना-आशियाना

- ***युवती को ब्लैकमेल कर आत्महत्या करने के लिये उकसाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2026 को वादी मुकदमा विकास निवासी सदर बाजार नई बस्ती थाना कैन्ट लखनऊ, द्वारा लिखित तहरीरी सूचना बाबत वादी की पुत्री को अभियुक्त के द्वारा ब्लैकमेल कर आत्महत्या करने के लिये विवश करने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2026 धारा 108 भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम सुहैब अख्तर के पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 शुभम मेंहदियान द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना के अनावरण हेतु थाना आशियाना की पुलिस टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना के आधार पर नामजद अभियुक्त शोएब अख्तर पुत्र जावेद अख्तर निवासी म0नं0 34 जय राज पूरी हाइड्रिल कॉलोनी थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब उम्र 23 वर्ष को घटनास्थल बीबीएयू यूनिवर्सिटी के पास शहीद पथ के किनारे से दिनांक 28.04.2026 को समय करीब 19.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 114/2026 धारा 108 बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय-

01-शोएब अख्तर पुत्र जावेद अख्तर निवासी म0नं0 34 जय राज पूरी हाइड्रिल कॉलोनी थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब उम्र 23 वर्ष

04--गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना आशियाना लखनऊ

1. उ0नि0 शुभम मेंहदियान चौकी प्रभारी किला, थाना आशियाना लखनऊ
2. उ0नि0 उ0नि0 आलोक पाण्डेय, थाना आशियाना लखनऊ
3. का0 सुमित कुमार, थाना आशियाना लखनऊ